भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2573

14 मार्च, 2016 को उत्तर के लिए

रायल्टी दर

2573. श्री अरविंद सावंतः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खनिज उत्पादक राज्यों को रायल्टी के रूप में भुगतान राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार संबंधित राज्यों को खनिजों पर रायल्टी दर में परिवर्तन का अधिकार देने का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रायल्टी की वर्तमान निर्धारित दर की तुलना में लौह अयस्क पर बाजार दर पर रायल्टी से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>खान एवं इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)</u>

(क) : गौण खनिजों सहित खनिजों पर रॉयल्टी राज्य सरकारों द्वारा वसूली और विनियोजित की जाती है, और इस संबंध में आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) : खान और खनिज (विकास और विनिमयन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर एक्ट, 1957) की धारा 9(3) के अनुसार केंद्र सरकार को प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी और अनिवार्य किराए की दरें निर्धारित करने का अधिकार है । इसके अतिरिक्त एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकारों को गौण खनिजों की रॉयल्टी और अनिवार्य किराए की दरें निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है ।

(ग) एवं (घ) : प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और भूगर्त भरण रेत को छोड़कर) की रॉयल्टी और अनिवार्य किराए की दरों, जिन्हें दिनांक 01 सितंबर, 2014 से संशोधित किया गया है, में अधिकांश खनिजों (लौह अयस्क सहित) की रॉयल्टी का निर्धारण यथा मूल्य आधार पर

किया गया है जबकि कुछ खनिजों की रॉयल्टी का निर्धारण टनेज आधार पर किया गया है । लौह अयस्क की रॉयल्टी दर यथा मूल्य आधार पर औसत विक्रय मूल्य का पंद्रह प्रतिशत है ।

****